

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय अधिकारी-राजस्थानी महलोट आर.ए.एस.

सूचना संख्या- 43/2015(2015/00087) वाद पत्र

उनवान

1-नन्दलाल पिता नन्दलाल गुर्जर नि० भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1-रमलाल पिता सुरजमल कुमावत नि० बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2-नन्दलाल पिता सुरजमल कुमावत नि० कुमावतो का खेडा बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3-न्याय पिता मोती कुमावत नि० कुमावतो का खेडा बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4-बालु पिता मोती कुमावत नि० कुमावतो का खेडा बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5-ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये व्यवस्थापक।

6- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

उपस्थित

1-हरीश टेलर-

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 16.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केंम्प बोराणा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1413 रकबा 0.03 हे० आचा, 1414 रकबा 0.24 हे०, 1415 रकबा 0.23 हे०, 1417 रकबा 0.06 हे०, 1418 रकबा 0.08 हे०, 1419 रकबा 0.13 हे०, 2608 रकबा 0.29 हे०, 2617 रकबा 0.13 हे०, 2946 रकबा 0.34 हे०, 2950 रकबा 0.31 हे०, 2952 रकबा 0.36 हे०, 3915 रकबा 0.09 हे०, 4302 रकबा 0.86 हे०, 4304 रकबा 0.03 हे० कुल किता 14 कुल रकबा 3.18 हे० में वादी का 5/48 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 16.02.2018 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबंदी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(Handwritten signature)


आदेश

ग्राम बोराना तहसील रायपुर जिला भीलवाडा के बैरुन हल्का आबादी में स्थित खाता नम्बर 2950 खादी एवं प्रतिवादीगण के खाते की भूमि के विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है-

क्र. सं.	कृषकों के नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल(है०)	किस्म
1	धर्मचन्द पिता नन्दलाल गुर्जर सा० भटेवर खातेदार	2950	0.31	चाही ॥
		2952/1	0.02	बीड ॥
		किता 2	0.33	
2	रामलाल 4/57 चम्पालाल 53/285 पिता सुरजमल प्यारा बालू पिता मोती 212/285 कुमावत सा० देह खातेदार रहन GSS बोराना हि प्यारा पिता मोती पर	1413	0.03	गैमु आचा
		1414	0.24	चाही ।
		1415	0.23	चाही ।
		1417	0.06	नहरी ।
		1418	0.08	नहरी ।
		1419	0.13	नहरी ।
		2608	0.29	खादी ॥
		2617	0.13	खादी ॥
		2946	0.34	बीड । 0.04 चाही ॥ 0.30
		2952/2	0.34	बीड ॥ 0.02 चाही ॥ 0.32
		3915	0.09	चाही ।
		4302	0.86	बा. III
		4304	0.03	आ खडडा
		किता 13	2.85	

अंतिम डिक्री अनुसार भूमि दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 16.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 राजलक्ष्मी गहलोत
 सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
 रायपुर जिला भीलवाडा